राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 29.11.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम किये जाने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास निरन्तर किये जा रहे है। कोविड–19 रोगियों का जीवन बचाने हेतु जीवन रक्षक दवाईयों के साथ चिकित्सा संस्थानों में समुचित एवं निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में कोविड–19 मरीजों को ऑक्सीजन की बढती आवश्यकता का देखते हुए, आगामी समय में सर्दियों के मौसम, शादी समारोह व त्यौहारी सीजन को देखते हुए कोविड–19 संक्रमण के बढने की आंशका के कारण सभी डेडीकैटेड कोविड चिकित्सालयों में समुचित एवं निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.11.2020 के द्वारा दिये गये निर्देशों की निरन्तरता में सभी जिला कलक्टरों से यह अपेक्षित है कि वे अपने जिले में स्थित समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की समीक्षा कर ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति का सूक्ष्म प्रबंधन (Micro Management) किया जाना सुनिश्चित करे।

29/11

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय,
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7 मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
8 समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
9 समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
10 समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
11 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन राजस्थान।
12 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
14 समस्त निजी चिकित्सालय, राजस्थान।
15 जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
16 निजी/रक्षित/कम्प्यूटर सैल।
17 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबवाईट पर अपलोड करे।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव